<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्<u>ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 609 / 13</u> संस्थापन दिनांक:-23 / 12 / 13 फाईलिंग नं. 233504000792013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

- 1. एकनाथ पिता शंकर वागद्रे, उम्र 40 वर्ष,
- 2. उर्मिलाबाई पति एकनाथ वागद्रे, उम्र 28 वर्ष
- दीपक पिता नामदेव वागद्रे, उम्र 20 वर्ष, सभी निवासी जम्बाड़ा, थाना आमला, जिला बैतुल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 25.10.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/24, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.12. 2013 को रात 11:00 बजे थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत प्रार्थिया का मकान ग्राम जम्बाड़ा लोकस्थान या उसके समीप फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत रीनाबाई को हाथ थप्पड़ और लकड़ी से मारपीट का स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.2013 को रात करीब 9–10 बजे फरियादी खाना खाकर सोने की तैयार कर रही थी तभी अभियुक्त उर्मिलाबाई उसे गंदी गंदी गालियां देने लगी जिस पर उसने उसे गाली देने से मना किया तो अभियुक्त उर्मिला ने उसके बाल पकड़कर हाथ मुक्के से मारने लगी। इसके बाद अभियुक्त एकनाथ और दीपक वागद्रे लकड़ी लेकर दौड़े और एकनाथ ने दो लकड़ी उसकी पीठ पर मारी तथा दीपक ने लकड़ी उसके दाहिने हाथ में मारी। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 486/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर लोक स्थान या उसके फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत रीनाबाई को हाथ थप्पड़ और लकड़ी से मारपीट का स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

5 बद्री (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि फरियादी रीनाबाई (अ.सा.—1) उसकी पत्नी है तथा घटना के समय अभियुक्त दीपक उनके घर आया था और उसे तथा उसकी पत्नी को मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दिया था जो सुनने में बुरी लगी थी। फरियादी रीनाबाई (अ.सा.—1) ने अभियुक्त द्वारा गाली गलौच किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि बद्री (अ.सा.—2) ने अभियुक्तगण द्वारा उच्चारित किये गये शब्द अपने परीक्षण में बताये हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही साक्षी बद्री (अ.सा.—2) एवं रीना (अ.सा.—1) ने घटना घर के अंदर की बतायी है ऐसी स्थिति में घटना स्थल लोक स्थान नहीं है जो कि धारा 294 भा.दं. सं. का मुख्य तत्व है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना

जा सकता।

वद्री (अ.सा.—2) एवं रीनाबाई (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। यद्यपि बद्री (अ.सा.—2) ने अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर यह सही होना बताया है कि अभियुक्तगण ने उन्हें जान से मारने की धमकी दिये थे परंतु अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा—506 भाग—2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 7 रीनाबाई (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि घटना के समय वह अपने घर पर थी तभी अभियुक्त दीपक और उसके पित की लड़ाई होने लगी और उसने बीच बचाव किया तो अभियुक्त दीपक ने उसे मारा। इसके बाद अभियुक्त एकनाथ एवं उर्मिलाबाई भी आये फिर इन सब ने उसके साथ मारपीट की। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसे मारपीट से पीठ में चोट आयी थी। बद्री (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त दीपक उनके घर पर आया तथा उसने उसके तथा उसकी पत्नी के साथ धक्का मुक्की की इसके बाद अभियुक्त एकनाथ एवं उर्मिला भी आ गये फिर सब ने मिलकर उनके साथ लडाई झगडा किया।
- 8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 17.12.2013 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर कार्यरत रहते हुए उक्त दिनांक को आहत रीना का परीक्षण किये जाने पर उसकी दाहिनी कोहनी के जोड़ पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोच एवं आहत की पीठ व सिर में दर्द की शिकायत होना पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—3) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किये हैं।
- 9 बिसनसिंह (अ.सा.—5) ने दिनांक 17.12.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 486 / 13 की केस डायरी विवेचना हेतु सौंपे जाने पर नक्शा मौका (प्रदर्श प्री—4) तैयार किया जाना तथा दिनांक 18.12.2013 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—5 एवं प्रदर्श पी—6 तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

- 10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादी रीनाबाई ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। साक्षी रीनाबाई एवं बद्री के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन की घटना का समर्थन नहीं किया है। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन के मामले को संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में रीनाबाई (अ.सा.-1) ने 11 न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त दीपक और उसके पति बद्री की लड़ाई हो रही थी, उसने बीच बचाव किया तो अभियुक्त दीपक ने उसे मारा, इसके बाद अन्य अभियुक्त एकनाथ एवं उर्मिला आये उसके बाद उसके पति तथा अभियुक्तगण इकट्ठा हो गये और सब ने मिलकर उसे मारा। बद्री (अ.सा. -2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त दीपक ने उसके तथा उसकी पत्नी के साथ धक्का मुक्की की थी। फिर अन्य अभियुक्त एकनाथ और उर्मिला आये और सब ने मिलकर उनके साथ झगड़ा किया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसे उसकी पत्नी रीनाबाई (अ.सा.-1) ने दूसरे कमरे में बंद कर दिया था, फिर उसने नहीं पता कि मौके में क्या हुआ था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उर्मिला एवं एकनाथ ने उसकी पत्नी रीना के साथ उसके सामने मारपीट नहीं किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियुक्त एकनाथ एवं उर्मिला के द्वारा अपनी पत्नी रीना (अ.सा.-1) के साथ हाथ, थप्पड और इंडे से मारपीट किये जाने की बात को गलत बताया है।
- 12 रीनाबाई (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में घर के बारह जोर—जोर से आवाज आने की बात गलत बतायी है। स्वतः में यह कहा है कि उसके पित बद्रीनाथ का झगड़ा घर के अंदर ही हो रहा था। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि खेतीबाड़ी के संबंध में अभियुक्तगण, उसकी सास तथा उसके पित का झगड़ा चल रहा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ में कोई मारपीट नहीं की थी। साक्षी ने अभियुक्तगण के द्वारा बल्लम से मारपीट किये जाने की बात इसी पैरा में बतायी है। बद्री (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में यह बताया है कि अभियुक्तगण का उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। स्वतः में यह कहा है कि उसकी पत्नी रीनाबाई के साथ हुआ था। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा उसकी पत्नी के साथ मारपीट किये जाने से इनकार किया है।
- 13 धनराज (अ.सा.—3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य उक्त साक्षी के कथनों से प्रकट

नहीं हुए हैं। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

अभियोजन कथा अनुसार फरियादी घर पर सोने की तैयारी कर रही थी, इतने में अभियुक्त उर्मिला जो कि उसकी जेठानी है, ने गंदी गंदी गालियां दी, उसने मना किया तो सिर के बाल पकड़कर हाथ मुक्के से मारने लगी। इसके बाद अभियुक्त एकनाथ तथा दीपक आये तथा उसे लकडी से पीठ पर मारा जिससे उसे पीठ एवं कोहनी पर चोट आयी थी। रीनाबाई (अ.सा.–1) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त दीपक और उसके पति बद्री के बीच लडाई होना बताया, बीच बचाव करने पर अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट करना बताया। बद्री (अ. सा.-2) ने भी पहले अभियुक्त दीपक द्वारा मारपीट करना बताया है। बद्री (अ.सा. -2) ने अपने परीक्षण में अभियुक्त उर्मिला एवं एकनाथ द्वारा उसकी पत्नी रीनाबाई के साथ मारपीट किये जाने से इनकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के साथ लड़ाई झगड़ा किये जाने की बात से इनकार किया है। जबकि रीनाबाई (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घर के अंदर अभियुक्तगण, उसकी सास और उसके पति बद्री का झगड़ा हो रहा था। इस प्रकार साक्षी रीनाबाई (अ.सा.-1) एवं बद्री (अ.सा.-2) के न्यायालयीन कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। फरियादी रीनाबाई (अ.सा.–1) ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। साथ ही घटना के प्रारंभिक स्थिति से भिन्न कथन न्यायालय में करते हुए घटना के प्रारंभ को ही बदल दिया है। साथ ही साक्षी रीनाबाई (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जमीनी विवाद को लेकर उसकी अभियुक्तगण से रंजिश है तथा यदि अभियुक्तगण उसे खेती बाडी का हिस्सा दे दे तो वह उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

15 बचाव अधिवक्ता के द्वारा बचाव साक्षी मोड़या (ब.सा.—1) को परिक्षीत कराया गया है जिसने अपने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि फरियादी रीनाबाई एवं बद्री का हमेशा वाद विवाद होते रहता है तथा घटना दिनांक को अभियुक्त एकनाथ दिन भर उसके साथ था। किसी भी अभियुक्तगण ने रीनाबाई के साथ कोई मारपीट नहीं की। जब फरियादी और उसके पित का विवाद हो रहा था तो ये बीच बचाव करने गये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं। उक्त साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त एकनाथ दिन भर उसके साथ में था तथा अन्य अभियुक्तगण ने फरियादी तथा उसके पित बद्री के विवाद में बीच बचाव किया था। घटना रात्रि 10—11 बजे की है। तब ऐसी स्थित में इस साक्षी के कथनों यह प्रकट नहीं हो रहा है कि वह रात के 10—11 बजे फरियादी के घर पर था या नहीं। अतः उक्त साक्षी के कथनों से बचाव को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

16 साक्षी रीनाबाई (अ.सा.—1), बद्री (अ.सा.—2) के न्यायालयीन कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। रीनाबाई (अ.सा.—1) ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। उभयपक्ष के मध्य रंजिश का तथ्य विद्यमान है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण ने फरियादी रीनाबाई के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत रीनाबाई को हाथ थप्पड़ और लकड़ी से मारपीट का स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण एकनाथ, उर्मिलाबाई एवं दीपक को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)